न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–49/2015

CIS NO. TS 265/2018

बिनोद कुमार मिश्र एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बैद्यनाथ साह.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
07.08.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 12.11.2024 को अंदर धारा 90, 74 वो 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 12.11.2024 को अपने दावे के समर्थन में सूची के साथ दिनांक 14.07.2016 वो दिनांक 20.01.2021 को कागजात दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है। प्रस्तुत वाद वादी साक्ष्य में चल रहा है एवं वादीगण द्वारा दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य दिया गया है एवं कुछ कागजात को साबित किया गया है, जो श्रीमान् द्वारा प्रदर्श अंकित किया जा चुका है। वादीगण द्वारा दो किता बैयनामा दस्तावेज दिनांक 06.05.2014 दस्तावेज सं0–3836 श्रीकांत मिश्र बनाम मुकेश यादव एवं दस्तावेज सं0–3838 श्रीकांत मिश्र बनाम विकास यादव की सच्ची प्रतिलिपी है। स्वत्व वाद सं0–179/2009 श्रीकांत मिश्र बनाम बैद्यनाथ साह में पारित आदेश दिनांक 13.03.2014 सब जज–IV बेतिया आदेश की सच्ची प्रतिलिपी, मुल बैयनामा दस्तावेज दिनांक 16.02.1985 मु0 गौरी देवी बनाम श्रीकांत मिश्र, बैयनामा दस्तावेज दिनांक 24.12.2008 मधुसुदन मिश्र बनाम बैद्यनाथ साह की सच्ची प्रतिलिपी, प्रोवेट वाद सं–03/1984, 05/1995 मधुसुदन मिश्र बनाम गौरी देवी में पारित आदेश दिनांक 31.05.1995 वो डिक्री दिनांक 15.06.1995 की सच्ची प्रतिलिपी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी प0 चम्पारण का अभिलेख सं0–02/1989–90 में राशि का विवरण, एवं मूल बैयनामा दस्तावेज दिनांक 30.03.1964 साधु दुबे बनाम गौरी देवी। उपरोक्त सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है एवं 30 वर्ष से ज्यादा पुराने दस्तावेज है,	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–49/2015

CIS NO. TS 265/2018

बिनोद कुमार मिश्र एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बैद्यनाथ साह.....प्रतिवादी

लगातार 07.08.2025	जिन्हें साबित करने के लिए किसी औपचारिक साक्षी की आवश्यकता नहीं है। यदि उपरोक्त कागजातों को वादीगण की ओर से प्रदर्श अंकित नहीं किया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं न्याय से वंचित हो जाएगें। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा दाखिल सभी कागजातों को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। प्रतिवादी की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 12.11.2024 को स्वीकार करते हुए दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 25.08.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	